

TENDER DATE EXTENDED DUE TO SOME SOME AMENDMENTS IN TECHNICAL BID DOCUMENT

1.	Last date &time of sale of tender documents and bids can be submitted	08.08.2024 up to 05:00 pm
2.	Last date &time up to which EMD & tender fee & MD RISL FEE can be submitted	09.08.2024 up to 03:00 pm
3.	Date and time of opening of Technical bid	10.08.2024 up to 02:00 pm

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur - 302015

EPABX No. : 91-0141-2713666-69, Fax No. : 0141-2711075

Email : jaipurdairypurchase@gmail.com www.jaipurdairy.com

निविदा संशोधन सूचना

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर दूध एवं अन्य सभी ताजे दूध उत्पादों के वितरण हेतु ई-निविदा की दिनांक 09/07/2024 को प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में निविदादाताओं से प्राप्त सुझावों का अवलोकन करने के पश्चात् कमेटी सदस्यों के द्वारा निविदा में निम्नासुर आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र संख्या	प्री बिड मीटिंग में दिए गए सुझाव	निविदा में इससे सम्बन्धित शर्त	कमेटी सदस्यों का मत एवं संशोधन
1	अनुभव एक वर्ष की जगह 2 वर्ष करवाने के लिए को-ऑपरेटिव डेयरी में अनुबन्ध अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण अनुबन्ध पूर्ण करने योग्य निविदादाता को ही मान्यता दी जाय।	Upload work experience certificate for one year of Co-operative Union for Milk & Milk Products distribution work.	निविदा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।
2	सप्लाई वाहन मॉडल सभी टेण्डरों 2018 के स्थान 2015 पूर्व निविदा अनुसार निर्धारित किया जाय।	The agreement of distribution can be repudiated at any time if the vehicle is not found conforming to the specifications prescribed or is not in fit condition. The vehicle should not be older more than 2018 .	निविदा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाने वाहन का मॉडल 2014 किया जाना प्रस्तावित है। वाहनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन के मॉडल, संचालन अवधि एवं किसी भी प्रकार के कोई नियम तथा दिशा निर्देश जारी किये जाते है तो संचालित वाहन राज्य सरकार एवं परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार बदलना होगा। साथ ही वाहन की दक्षता/ उपयुक्तता का वार्षिक प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा एवं संघ के यातायात अनुभाग से फिटनेस एवं इंसुलेशन का हर 6 महीने में परिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लगाए जाने वाले वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा जारी मापदंड एवं नियम लागू होंगे।
3	जीएसटी टर्नओवर ग्रामीण मार्ग पर सप्लाई कार्य के लिए 1.00 करोड़ सालाना का किया जाय।	GST Turnover of last Two years should be minimum Rs. 05.00 Lacs.	निविदा में टर्नओवर 10 लाख किया जाना प्रस्तावित है जिससे निविदा में प्रिडिष्ठित फर्मों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके क्योंकि सीधा मामला आम जान से जुड़ा हुआ है एवं दूध की सप्लाई एक अति आवश्यक सेवा में शामिल कार्य है।
4	यह कि पार्टी द्वारा वर्तमान कार्यरत जेन में पुनः कार्य करने की स्थिति में बैंक गारन्टी को विस्तारित (Bank Guarantee Extension) करवाकर नयी निविदा/अनुबन्ध में निहित माना जाना चाहिए। यदि नयी बैंक गारन्टी की अपेक्षा में पुरानी बैंक गारन्टी की राशि कम है तो शेष बैंक गारन्टी राशि की बैंक गारन्टी	The successful applicant / bidder will have to execute an agreement in the prescribed form and deposit cash security and Bank Guarantee	इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

Handwritten signature



	अतिरिक्त जमा करानी चाहिए।	(valid for (30 months) 2.5 years) in a prescribed manner as specified in appendix A.	
5	टेण्डर शर्तों में सुरक्षा राशि एवं बैंक गारन्टी पूर्व प्रचलित नियम शर्तानुसार (RTPP) की गणनानुसार रखी जावे क्योंकि वर्तमान में जारी निविदा में अपेण्डिक्स में जो बैंक गारन्टी, सुरक्षा राशि एवं खाली क्रेटों की गणना नहीं कर अनुमानित रूप से की गयी है। कृपया पूर्व की भांति ही बैंक गारन्टी एवं सुरक्षा राशि निर्धारित की जावे।	Mentioned in as per appendix-A.	निविदा में सुरक्षा राशि और बैंक गारंटी इसलिए ली जाती है ताकि कार्य शुरू होने से पहले ही आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध हो जाए जिससे सप्लाय प्रक्रिया बिना किसी विलंब या रुकावट के आगे बढ़ सके। सुरक्षा राशि और बैंक गारंटी राशि को कम नहीं किया जाता है क्योंकि यह दुग्ध संघ को सुरक्षा प्रदान करता है एवं संघ को नुकसान से बचाने की सुनिश्चितता होती है। इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।
6	शर्त संख्या 96 ग्रामीण मार्ग में दूध चोरी के सम्बन्ध में पूर्व की भांति गेटपास से अतिरिक्त उत्पाद की राशि का 25 गुणा शास्ती वसूली का प्रावधान ही रखा जाय क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती है सुपरवाइजर / सुरक्षा गार्ड एवं ड्राइवर।	If staff of Distributor's firm is found guilty of theft of milk & milk products a penalty of 11,000 would be imposed along with penalty of 25 times of the value of milk & milk products would be imposed on distributor firm after approval from competent authority.	This condition 96 will be read as "If staff of Distributor's firm is found guilty of theft of milk & milk products a penalty of 11,00 would be imposed along with penalty of 30 times of the value of milk & milk products would be imposed on distributor firm after approval from competent authority.
7	शर्त संख्या-85 ग्रामीण मार्ग में नयी शर्तों में आंशिक संशोधन किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी से झगड़ा फसाद की घटना की पहले पूर्ण निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। तत्पश्चात जो भी दोषी पाया जाय उसे दण्डित किया जाना चाहिए।	Condition 85. Any person driver/ worker/ representative misbehaves with security, Jaipur Dairy staff in Jaipur Dairy it will be view seriously and suitable penalty can be imposed on Transporter/ Distributor, and gate entry can be banned. Condition 97. If distributor or his staff is found guilty of misbehaving with staff of Jaipur Dairy a penalty of Rs.5,000 would be imposed after enquiry for first time. Penalty of 11,000 would be imposed for second time & distributor's firm would be suspended after enquiry if found faulty at third time after approval from competent authority.	Condition no. 85 is delated and replaced with condition no. 97. Condition no. 97 will be read as "If distributor or his staff is found guilty of misbehaving with staff of Jaipur Dairy legal action may be taken against firms' staff after enquiry and approval of competent authority.
8	शर्त संख्या-98 एवं 99 ग्रामीण मार्ग में नयी शर्तों का प्रावधान रखा गया है कि यदि "Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/ Parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2	98. Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk & milk products would be	Now condition no. 98 will be read as "Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with

	<p>times of value of milk & milk products would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority." में यह शर्त सही नहीं है कि कोई भी वितरक यह नहीं चाहता है कि उसके आवंटित कार्यक्षेत्र में सप्लाई देरी से हो। सप्लाई देरी से होने के कई कारण हो सकते हैं यथा- वाहन में तकनीकी खराबी, दुर्घटना, आपातकालीन परिस्थिति, जयपुर दुग्ध संघ से वाहन का देरी लोड होकर सप्लाई के लिए रवाना होना इत्यादि कारण से आवंटित क्षेत्र में सप्लाई देरी से की है इसके लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा जाय। इसके लिए उसको प्रथम एवं द्वितीय नोटिस दिया जाकर यदि उसकी कार्यशीली में सुधार नहीं किया जाय तो उसे निलम्बित करने की कार्यवाही की जाय नांकि उस पर उत्पादों की दो गुना शास्ती वसूली जाय।</p>	<p>imposed on distributor after enquiry approval of competent authority. 99. If any complaint is received from booth/shop agency/parlour regarding late supply or not supply of milk & milk products a penalty of Rs.1,100 would be imposed for first time. Penalty of 2,100 would be imposed for second time & Penalty of 5,100 would be imposed for third time after investigation of complaint if firm found faulty.</p>	<p>reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority". Now condition no. 99 will be read as "If any complaint is received from booth/shop agency/parlour regarding late supply or not supply of milk & milk products penalty would be imposed after investigation of complaint if firm found faulty.</p>
9	<p>शर्त संख्या 101 ग्रामीण मार्ग में नयी शर्तों में आंशिक संशोधन किया जाय कि किसी भी वितरण स्टाफ द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों का खुले में सेवन कर गन्दीगी फैलाई जाती है अथवा डेयरी कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है तो जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर उसे दण्डित किया जाय।</p>	<p>If staff of distributor is found consuming prohibiting substance in Jaipur Dairy premises a penalty of Rs.1,100 would be imposed for first time. Penalty of 2,100 would be imposed for second time & Penalty of 5,100 would be imposed for third time. If staff found consuming prohibit substance (Cigarette, Tobacco, Weed etc.) fourth time. Staff would be terminated. If staff found consuming prohibit substance fifth time. Distributors firm would be suspended after approval from competent authority.</p>	<p>Now condition no. 101 read as " If staff of distributor is found consuming prohibiting substance in Jaipur Dairy premises a penalty of Rs.200 would be imposed and action may be taken as per COTPA Act 2003 after approval of competent authority.</p>
10	<p>शर्त संख्या 102 ग्रामीण मार्ग में जो नयी शर्तों का प्रावधान रखा गया है। उससे वाहन चालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ड्राइवर मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर किसी की एक मजबूरी होती है। इस शर्त में आंशिक संशोधन किया जाय कि यदि वितरक द्वारा वाहन चालक बदला जाता है तो उसके लाइसेन्स एवं पहचान पत्र की जानकारी विभाग अधिकारी को एक अथवा दो दिन पूर्व देनी होगी। यदि आकस्मिक अथवा आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी सूचना तुरन्त लिखित में सम्बन्धित विभाग अधिकारी को देनी होगी।</p>	<p>The distributor will have to submit a copy of the driver's license. If the driver is changed, distributor will have to submit his license copy and take approval. If a driver is found different from authorized one, a penalty of Rs.2,100 will be imposed.</p>	<p>शर्त 102 को अब इस प्रकार संशोधित किया जाता है "यदि वितरक द्वारा चालक बदला जाता है तो 24 घंटे के अंदर अनुभाग अधिकारी को इसकी जानकारी सहित लिखित में उपलब्ध करनी होगी। एवं 2 दिन के अंदर चालक का लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा अन्यथा इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जा सकती है"।</p>
11	<p>जैसा कि जयपुर दुग्ध संघ द्वारा ग्रामीण मार्ग की निविदा की नयी शर्त संख्या 92 के तहत प्रावधान रखा है कि "in future, if any cold storage will be built in milk procurement zones (Mahua, Dausa, Bassi, Chaksu, Dudu, Bindaika, Kaladera, Manpura, Machedi, Kotputli) for supply of milk and milk products. Then fresh tender will be invited after cancellation of previous tender with immediate effect for those rural areas which will comes under these procurement zones for those rural supply areas which is comes Under these procurement</p>	<p>In future, if any cold storage will be built in milk procurement zones (Mahua, Dausa, Bassi, Chaksu, Dudu, Bindaika, Kaladera, Manpura Machedi, Kotputli) for supply of milk and milk products. Then fresh tender will be invited after cancellation of previous tender with immediate effect for those rural areas which will comes under these procurement</p>	<p>Now this condition 92 read as 'In future, if any cold storage will be built in milk procurement zones (Mahua, Dausa, Bassi, Chaksu, Dudu, Bindaika, Kaladera, Manpura Machedi, Kotputli) for supply of milk and milk products. Then contracted distributor will supply products from cold storage to booth and shop agency of procurement zones for those rural supply area</p>

Prakash

	<p>zones. उक्त बिन्दु नं. 92 में यह गोल-मोल शर्त लिखी गयी है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व अनुबन्ध/निविदा को समाप्त किया जायेगा अथवा उसके अतिरिक्त नयी निविदा आमंत्रित की जावेगी। यदि संघ द्वारा वितरक के साथ दो वर्ष का अनुबन्ध किया है तो बिना किसी शिकायत अथवा अनियमितता के मध्य में ही अनुबन्ध कैसे समाप्त किया जा सकता है जबकि नये टेण्डर की प्रक्रिया उस स्थिति में की जा सकती है कि अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध समाप्त हो गया है। बिना अनुबन्ध समाप्ति के मध्य में नयी निविदा किस नियम के तहत जारी की जा सकती है तथा दोनों पक्षों की सहमति के बिना अनुबन्ध कैसे समाप्त किया जा सकता है। यदि मध्य में एक तरफा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो क्या इसके लिए वितरक को नये आवंटित कार्यक्षेत्र में वितरण कार्य हेतु दरें अतिरिक्त दी जायेंगी। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।</p>	<p>zones for those rural supply area which is comes under these procurement zones.</p>	<p>which is comes under these procurement zones." Rate will be decided as per norms.</p>
12	<p>जैसा कि संघ द्वारा नयी शर्तों में यह प्रावधान रखा गया है कि सप्लाय अनुबन्धित वाहन से ही की जावेगी। यदि वितरक द्वारा दूसरा वाहन बदला जाता है तो इसके लिए वाहन बदलने पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इस सम्बन्ध में आंशिक मानवीयता से सोचा जाय कि कोई भी घटना पहले सूचित करके नहीं होती है। क्योंकि जिस वाहन के साथ दुर्घटना हुयी है अथवा तकनीकी खराबी हुयी है तो एक ही नम्बर के दो वाहन नहीं होते हैं कि वाहन खराब हो गया उसी नम्बर की दूसरा वाहन उपयोग में ले लिया जाय। इस हेतु शर्त में आंशिक संशोधन किया जाय कि यदि ऐसी वितरक द्वारा वाहन बदला जाता है तो उसके बारे में विभाग अधिकारी को जानकारी देने के लिए वितरक को एक अथवा दो दिन समय दिया जाय। यदि आकस्मिक अथवा आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी स्वीकृति बाद में लेनी होगी पहले सप्लाय क्षेत्र में सरस आउटलेट्स पर सप्लाय की व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु आपातकालीन स्थिति में किसी भी अन्य वाहन से भी बिना स्वीकृति के सप्लाय की जा सकती है। स्थिति में सुधार होने के बाद वाहन की क्या स्थिति है इस हेतु वितरक को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा तथा अन्य वाहन की स्वीकृति अथवा वाहन को सही करवाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी।</p>	<p>Condition 94 "Distributor is bound to supply milk & milk products through contracted vehicle only. Vehicle would be checked randomly and If found supplying from vehicle other than contracted vehicle, a penalty of Rs.11,000 would be imposed for first time. Penalty of Rs.21,000 would be imposed for second time & distributor's firm would be suspended if found faulty at third time after approval from competent authority".</p>	<p>शर्त 94 को अब इस प्रकार संशोधित किया जाता है "यदि वितरक द्वारा किसी परिस्थिति में वाहन को बदला जाता है तो 24 घंटे के अंदर अनुभाग अधिकारी को इसकी जानकारी कारण सहित लिखित में उपलब्ध करनी होगी। लगाए जाने वाले वाहन का दस्तावेज एवं वाहन कितने समय तक लगाया जाना है उसका उचित कारण लिखित में प्रस्तुत करना होगा"।</p>
13	<p>जैसा कि वाहन को दुर्घटनाओं से बचाने एवं सुरक्षित सप्लाय करने के लिए वाहन चालक पर दबाव नहीं बनाना भी एक सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि यदि वाहन चालक पर दबाव होता है कि सप्लाय लेट होने पर उनको शास्ती भरनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें वाहन का तेज रफ्तार से दौड़ाना होता है यदि कहीं भीड़-भाड़ होती है वहां पर भी उन्हें वाहन की चिन्ता किये बिना उल्टा सीधा वाहन दौड़ाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबको सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित एवं निर्वाह सप्लाय हेतु वाहन चालक पर अधिक दबाव बनाना उचित नहीं होगा। "दुर्घटना से देर भली" कृपया इस पर विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।</p>	<p>Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk & milk products would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority.</p>	<p>Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Recovery of loss amount of milk union agent will be done from distributor after enquiry and approval from competent authority.</p>
14	<p>निविदा फार्म में ग्रामीण के अधिकतर मार्गों में दोनों समय दुग्ध वितरण कार्य चालू है एवं इन मार्गों पर एक वाहन से</p>	<p>Detail of vehicle is mentioned in appendix "A" of tender</p>	<p>Appendix "A" amended as per current statics of</p>

Prish



	दुग्ध वितरण करना संभव है नहीं है वर्तमान में भी अलग अलग दो वाहनों से सप्लाई कि जा रही है अतः जिन मार्गों पर दोनों समय सप्लाई की जा रही है उनमें दो वाहन मांगने का निविदा में संशोधन कि मांग रखते है।	documents.	zone/area.
15	आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवंटित जोन में सप्लाई बढ़ने कि उपरांत अन्य मार्ग आवंटित कर निविदा कि जाएगी जिसमें हमारी मांग है अतिरिक्त सप्लाई बढ़ने पर उसी वितरक द्वारा वाहन कि वयवस्था कर सप्लाई वयवस्था सुचारु करवाई जाये।	In order to ensure timely supply arrangements in all Rural supply areas, even after the tender, new areas will be created by cutting out these areas. Jaipur Milk Union will have full rights over it.	Condition no. 91 will be read as " If there is an increase in the quantity of milk in any zone, then based on the quantity as per attached appendix in tender documents, it will be the full responsibility of the concerned distributor to supply it in all the areas of the allotted zone by deploying additional vehicles for the increase in supply. If the distributor refuses to supply in the entire area of the allotted zone by employing additional vehicles, then work would be allotted to another party only after getting written consent from him. Jaipur Milk Union will have full rights over it and decision of MD JMU binding on this.
16	यदि किसी वितरक पर किसी वित्तिय वर्ष में चेक अनादरित होने पर शास्ति आरोपित कर दी है। ततपश्चात अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अदेय प्रमाण पत्र संघ द्वारा जारी कर दिया है। तो वह वितरक पुनः आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता शास्ति व निविदा में अनुमत नहीं करना एक साथ दोनों शास्ति नहीं हो सकती अन्यथा अदेय प्रमाण पत्र जारी होने पर कोई भी वितरक निविदा प्रक्रिया में डिबार नहीं किया जा सकता न ही RAPP कि लहत उसे वंचित किया जा सकता है।	Existing Distributor whose five cheques are dishonoured because of distributor fault & penalty imposed by Jaipur Dairy in any one financial year will not be allowed to participate in this tender since Financial Year 2019-20 onwards.	Tender committee recommends that to enhance competition in tender this condition is deleted because in this tender we are taking payment in advance via NEFT/IMPS.

निविदा में आंशिक संशोधन के साथ साथ निविदा दस्तावेज में सलग अपेंडिक्स में भी दूध की वर्तमान मात्रा के अनुसार सुरक्षा राशि , बैंक गॉरंटी एवं क्रेट की सुरक्षा राशि के साथ साथ मांग के अनुसार वाहनों की संख्या में समीक्षा उपरांत संशोधित अपेंडिक्स निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	क्षेत्र संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का विवरण	अनुमानित कि.मी.	अनुमानित वित्तिय मात्रा लीटर	सप्लाई राउण्ड प्रातःकालीन / सांयकालीन	सुरक्षा राशि (लाख में)	बैंक गारन्टी (लाख में)	खाली क्रेडिट की अपेक्षित सुरक्षा राशि (लाख में)	वाहन का प्रकार

1	151	कोटपूतली	(क) भाभरू, आतेला, कोटपूतली मैन बाजार, ट्रान्सपोर्ट नगर, लक्ष्मीनगर, बानसुर रोड समस्त कोटपूतली क्षेत्र, सांगाहेड़ा, मोलाहेड़ा, पनियाला मोड़ मंडागांव, इत्यादि क्षेत्र। (ख) पावटा, गोवर्धनपुरा चौकी, परागपुरा, बिड़ला फेक्ट्री, सरुड़ नरेहड़ा, केसवाना गांव आदि में टैम्पो लगाकर उपरोक्त जगहों पर सप्लाई करानी है।	(285+60)= 345 एक समय 345+345= 690 किमी	13500	प्रातः कालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	6.50	15.50	2.80	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 1109, टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन एवं 2 पिकअप (पावटा) गोवर्धनपुरा, परागपुरा, परागपुरा, सीमेन्ट फेक्ट्री नरेड़ा एवं सरुड़ इत्यादि एवं कोटपूतली तथा उसके आसपास के क्षेत्र ।
2	152	दूदू	महला, नासरोदा, गोड़ोता कड़वा का वास, मोखमपुरा, बिचून, आकोदा, नरेना पवलिया, विगोलाव, हतुपुरा, साली साकून, पड़ासौली, दांतरी, रामनगर, हरसौली, दूदू, गिदानी, सावरदा, पालू, गागरुडू, सेवा, मांगलवाड़ा, गहलोता, छिरर, इत्यादि।	220+220= 440 किमी प्रातः+सायं	7000	प्रातःकालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, पिकअप अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
3	153	लालसोट तुंगा	लालगढ़, गढ़, माधोगढ़, तुंगा, सोनद, रामगढ़ पधवारा, डीडवाना, लालसोट, सम्पूर्ण बगड़ी बिलौना, मण्डावरी, खुर्रा माता एवं आसपास का क्षेत्र।	260 किमी	5000	प्रातःकालीन (एक समय)	2.50	5.80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
4	154	चाकसू	(क) बीलवा ग्राम, शिवदासपुरा, पदमपुरा, शीतलामाता, चाकसू (दोनों समय सप्लाई) (ख) कोथून करेड़ा, दतवास, सवासा, चन्दलाई, थली तितरिया, जयसिंहपुरा, झापदा, देहलाला, गरुड़वाशी, श्यामपुरा , बदली, हरभावता, घाडेल (एक समय सप्लाई)	220 किमी + 220 किमी	12000	प्रातःकालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	6.00	14.00	2.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909 एवं सायंकालीन सप्लाई टाटा 407 वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन (ख) चाकसू से पिकअप वाहन कोथून करेड़ा दतवास सवासा सप्लाई हेतु
5	155	दौसा-ए	पंचमुखी हनुमान जी, गोठला बस स्टेण्ड, शहीद की पुलिया, जटवाड़ा, श्याम सरोवर कॉलोनी, जयपुर तिराहा, पावरहाउस, संधल मोड़, बासड़ी मोड़, गिर्राज मन्दिर, सूर्य मन्दिर, सोमनाथ चौराहा, विशनपुरा, रॉडडा, बापी, संधल, गोलावास, कालाखो, सिकन्दरा चौराहा, सिकन्दरा गांव, गीजगढ़, भांडारेज गांव, सराई, लाखा, बहरामडा, खेड़ली, अचलपुरा इत्यादि	180+180= 360 किमी प्रातः+सायं	8000	प्रातःकालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	4.00	9.20	1.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन
6	155	दौसा- बी	सदर थाना, पी.जी. कॉलेज, मधुवन हॉटल, राजधानी अस्पताल, हरियाणा धर्मकाटा, कुम्हार मोहल्ला, छोटा बाजार, डांक बंगला, मानक्लब, खटीक मोहल्ला, नागौरी मोहल्ला, बरकत चौराहा, मानगज इत्यादि।	140+140= 280 किमी प्रातः+सायं	7000	प्रातःकालीन / सायंकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन ,खम चवानच वत नजव तमुनपतमक वित के उसस जतममजद

Prakash



7	155	दौसा-सी	लालसोट बाईपास तिराहा, गुप्तेश्वर मन्दिर, सरकारी अस्पताल के सामने का क्षेत्र, सेन्टमैरी स्कूल, आवासन मण्डल कॉलोनी, बावड़ी पाड़ा, जोशी की कोठी, आलूदा, पापड़दा, सारेड़ा, बड़ा गांव, राहुवास, कल्लावास, नोगल राजावतान एवं आसपास का क्षेत्र।	170+170=340 किमी प्रातः+सांय	8500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.00	10.00	1.80	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन
8	156	चौमू	बड़ पीपली, ईडन गार्डन, दादावास, रामपुरा डावड़ी, बस स्टेण्ड, जाहोता रोड, राजावास टाटियावास टोल, आनन्द लोक I-गा, जैतपुरा गांव, जैतपुरा रीको, बराला होस्पिटल, चौमू शहर, हाड़ोता, मोरीजा इत्यादि।	160+160=320 किमी प्रातः+सांय	9000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.50	10.50	1.90	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के वाहन
9	157	जोबनेर मण्डा	(क) मांचवा, कालवाड़, पचार, जोबनेर, खेजदावास, बस्सीनागान, सुशान्त सिटी, आशियाना नया बॉस, पचार, रामकुई इत्यादि। (दोनों समय सप्लाई) (ख) भोजपुरा, पचकोडिया, मण्डा, भैसलाना, भादवा, सिनोदिया, भारीजा, कालख, मुण्डवाडा, डयोडी, कोडी, प्रतापपुरा, आदि। (प्रातःकाल एक समय सप्लाई)	(क+ख) 220+140=360 किमी प्रातः+सांय	5500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	2.50	6.50	1.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता के 2 वाहन
10	158	महुवा बालाजी	मानपुर चौराहा, मानपुर गांव, सिकराय, बालाजी मोड़, बालाजी, पाटोली, बालाहेडी, कीर्ति नंगला, महवा, हिण्डोन रोड, भरतपुर रोड, गणेश चौक, मंडावर रोड, मंडावर इत्यादि एवं आसपास का क्षेत्र।	320 किमी	6000	प्रातःकालीन (एक समय)	3.00	7.00	1.25	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
11	159	बस्सी बासखोह	दयारामपुरा, बेनाड़ा, चांबड़िया, मोहनपुरा, बासखोह, नईनाथ, बस्सी गांव, बस्सी मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र, दुधली, सामरिया रोड, कल्याण गेज मार्केट बस्सी, राजपुरा, रोजवाडी, भूडला, लवाण एवं आसपास का क्षेत्र।	170+170=340 किमी	5000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	2.50	5.80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407, पिकअप अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
12	160	फुलेरा सांभर	ज्योति कॉलेज बोरारोड, बोरारोड, उगरियावास, भन्दे के बालाजी, ढिण्डा, हिरनोदा, रोजडी, काचरोदा, फुलेरा, सांभर, इत्यादि क्षेत्र।	190+190=380 किमी प्रातः+सांय	9000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.50	10.50	1.90	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
13	161	बगरू	मंगलम सिटी, रामचन्द्रपुरा, बड़ के बालाजी, बम्बोरिया, ठिकरिया, सांझरिया, मनीपाल यूनिवर्सिटी, दहमी गांव, दहमी खुर्द, चिरोटा, रिको, रिको एरिया बगरू, तकिया, मैन बगरू, बैगस रोड, बालकनाथ बाबा की ढाणी, आईटीआई कॉलेज, छितरोली, रवान इत्यादि	110+110=220 किमी प्रातः+सांय	10500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	5.50	11.80	2.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 909, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
14	162	जमुवाराम गढ़ आंधी	नायला मोड़, आमोमोड़, लागरियावास, सायपुरा गांव व मोड़, साईवाड़, पीपलियावास, चैनपुरा आरएसी, पालेड़ा, हीरावाला, जमुवारामगढ़ गांव, नकची घाटी, थौलाई, आंधी,	190 किमी	3000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	3.50	0.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

Prakash



			भवानी कलां, रायसर मातासुला थली खवारानी, पालड़ी, सरजोली, खडकड़ा, बुज, डोडा डूंगर, मानोता एवं आसपास का क्षेत्र।							
15	163	रेनवाल मांजी	(क) रातलिया स्टेण्ड, बालावाला, बाणियावाली, टीलावाला, रेनवाल मांजी, पहाड़िया मोड़ आदि (दोनों समय सप्लाई) (ख) तेजावाला, चारणवाला, किशोरपुरा, हीरापुरा, झावड, रूपवास, मानपुरा, पहाड़ियां गांव, डाबला बुजुर्ग, मोहबतपुरा, कपूरावाला, लाखना, बानियाली, पवालिया, एवं आसपास का क्षेत्र। (प्रातःकालीन सप्लाई एक समय)	(क+ख) 120+80= 200 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
16	164	सामोद अमरसर	काल्यावास, लक्ष्मी कॉलोनी, बिशनगढ़, बगवाड़ा, दौलतपुरा, खेराश्यामदास, बिलौची, सनराईज होटल, चितवाड़ी बासा, मानपुरा माचेड़ी, सामोद महार, धवली, राड़ावास, मारकी, अमरसर, हनूतपुरा, करीरी, सम्पूर्ण एरिया आसपास का क्षेत्र।	200 किमी	3500	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	4.50	0.75	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
17	165	मनोहरपुर विराट नगर	मनोहरपुर कस्बा, खोरा, लाड़खानी, मेड, भामोद, नवरंगपुरा, बीलवाड़ी, विराटनगर जवानपुरा, केवरा की ढाणी, बाघाबॉस आदि।	230 किमी	5500	प्रातःकालीन (एक समय)	2.50	6.50	1.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
18	166	आसलपुरा बेगस	(क) नाड़िया, गान्धीबरती, सिरसी गांव, सिरसी मोड़, सिरसी लिंक रोड, अक्षित मिडोज, बिन्दायका गांव, जेडीए कॉलोनी, सिवार एरिया, निमेड़ा, मुण्डियारामसर, धानक्या, बेगस आदि। (दोनों समय सप्लाई) (ख) आसलपुर, आसलपुर फाटक, बोवास एवं आसपास का क्षेत्र इत्यादि। (प्रातःकालीन एक समय सप्लाई)	(क+ख) 180+80= 260 किमी प्रातः+सांय	10500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	5.50	11.80	2.20	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
19	167	शाहपुरा	(क) मनोहरपुर टोल के बाहर, मण्डी चौराहा, जोगी का बाग, शाहपुरा पावर हाउस, नाथावाला (दोनों समय सप्लाई) (ख) साईवाड़ मोड़, साईवाड़ गांव, बाड़ी जोड़ी, रामपुर आसपास का क्षेत्र आदि (प्रातः एक समय सप्लाई)	(क+ख) 220+180= 400 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709 टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
20	168	हिंगोनिया रेनवाल	हिंगोनिया, भैसावा, करणसर, हरसोली, किशनगढ़ रेनवाल, बापड़ी, डयोड़ा, रामजीपुरा कला, रामजीपुरा खुर्द, नाथी का बास, मुण्डियागढ़, खेड़ी, नादरी, प्रतापुरा, व आसपास का क्षेत्र।	220+220=4 40 किमी	5000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	2.50	5.80	1.10	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 चपवानच अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
21	171	कालांडेरा गोविन्दगढ़	नीदड़, जयरामपुरा, जाहिता, जालसू, रायथल, मण्डा रिको, होटल, बड़ी डूंगरी, छोटी डूंगरी, लालासर, बधाल, किशनमानपुरा, हस्तेड़ा, कालांडेरा, गोविन्दगढ़, टाकरड़ा, डोढसर इत्यादि।	225 किमी	2000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.00	2.50	0.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

Rich



22	172	कुण्डल बांदीकुई	खान भांकरी रोड, खान भांकरी फाटक, कुण्डल, गुढाकटला, पिछुपाड़ा, गूलर चौराहा, बांदीकुई सम्पूर्ण, बसवा, मुकरपुरा चौराहा एवं आसपास का क्षेत्र।	280 किमी	4500	प्रातःकालीन (एक समय)	2.00	5.50	1.00	इन्सुलेटेड टाटा 709 वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
23	173	खेजरोली निवाणा	भोपावास, हाथनोवा, नांगल भरड़ा, अमरपुरा, कालू का वास, तिगरिया, धानोता, बांस का टीबा, निवाणा, खेजरोली, सिंगोद, धोबलाई, ढोढसर, गोविन्दगढ, उदयपुरिया, ईटावा भोपजी एवं हाड़ाता इत्यादि क्षेत्र।	190+190=380 किमी	2000	प्रातःकालीन (एक समय)	1.00	2.50	0.50	इन्सुलेटेड टाटा 407 वाहन अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
24	174	झाग मौजमा बाद	जयसिंहपुरा, पीपला, भरत सिंह, नेवटा, खटवाड़ा, महापुरा महेन्द्रा सेज, कलवाड़ा, अजयपुराजपुरा, सिराणी, चिरोटा, बगरू झाग स्टेण्ड, रामपुरा ऊंटी, राताखेडा, झाग, मौजमाबाद, सावली, बिहारीपुरा, धमाणा आदि।	(क+ख) 190+190=380 किमी प्रातः+सांय	8000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	4.00	9.20	1.70	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
25	176	तालाधौला, चंदवाजी	(क) दण्ड, लबाना, अचरोल, अमेठी, निम्स, चन्दवाजी (दोनों समय सप्लाई) (ख) भानपुर कला, चिताणु गांव, चादावास, राजपुरावास, तालाधौला, चिलपली मोड, गढवाड़ी, गुणवता, समुरकुई आदि का आसपास का क्षेत्र। (प्रातः एक समय सप्लाई)	(क+ख) 170+130=300 किमी प्रातः+सांय	7500	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	9.00	1.60	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
26	179	कोटखाव दा कानोता	कानोता, नायला, खिजूरिया, सोख, रूपपुरा, कोटखावदा, सांभरिया, अचलपुरा, पीलिया, देवगांव, काशीपुरा, बांसकाकरा, रूपाहेड़ी, रूपाड़ी टीबा, रूपाड़ी गांव आदि।	160 किमी	2500	प्रातःकालीन (एक समय)	1.50	3.00	0.60	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन
27	180	फागी माधोराजपुरा	(क) हरसूलिया, भोजपुरा, माधोराजपुरा, डिग्गी रोड पर फागी कस्बे का सम्पूर्ण क्षेत्र, (दोनों समय सप्लाई) (ख) थला, चकवाड़ा, शंकरपुरा, नौमेड़ा, खेड़ा बालाजी, चांदनाकला, मेडवास, चौरू, लदाना, दतौली, चितौड़ा, पीपला एवं आसपास का क्षेत्र। (प्रातः एक समय सप्लाई)	(क+ख) 210+120=330 किमी प्रातः+सांय	7000	प्रातःकालीन / सांयकालीन (दोनों समय)	3.50	8.00	1.50	इन्सुलेटेड वाहन टाटा 709, टाटा 407 अथवा समकक्ष क्षमता का वाहन

उक्त संशोधन प्रबंध संचालक महोदय केस्वीकृति उपरांत जारी किये जाते है।



प्रभारी (निविदा प्रकोष्ठ)